उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987[1]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 (68 सन् 1986) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित नियमों को बनाती है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) ये नियम उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 कहे जा सकेंगे।

(2) ये नियम, राजकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएं

इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) **'अधिनियम'** से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम 68) का आशय है,

(ख) **'अभिकर्ता'** से ऐसा कोई व्यक्ति आशयित है जो किसी पक्षकार द्वारा उसकी ओर से राष्ट्रीय आयोग के समक्ष परिवाद, अपील या उत्तर प्रस्तुत करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत है,

(ग) **'अपीलार्थी'** से ऐसा कोई पक्षकार आशयित है जो राज्य आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील करता है,

(घ) **'चेयरमेन'** से अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के चेयरमेन से है,

(ङ) **'ज्ञापन'** से अपीलार्थी द्वारा पेश की गई अपील का ज्ञापन आशयित है,

(च) **'विरोधी पक्षकार'** से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो परिवाद या दावे का उत्तर देता है,

(छ) **'अध्यक्ष'** से राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष आशयित है।

(ज) **'प्रत्यर्थी'** से ऐसा व्यक्ति आशयित है जो अपील के ज्ञापन का उत्तर पेश करता है,

(झ) **'धारा'** से अधिनियम की धारा आशयित है,

(ञ) **'राज्य'** में केन्द्रीय राज्य क्षेत्र भी सम्मिलित है,

(ट) इन नियमों में प्रयोग किए शब्द एवं अभिव्यक्तियां जिनकी यहाँ परिभाषा नहीं दी गई है परन्तु जिनकी परिभाषा अधिनियम में की गई है, का अर्थ क्रमशः वही होगा जो अधिनियम में किया गया है।

---

1. अधिसूचना क्र. सा.का.नि. 398 (अ) दिनांक 15.04.1987 से प्रभावशील तथा भारत के राजपत्र असाधारण भाग-2 खण्ड 3 - (1) में दिनांक 15 अप्रेल 1987 को प्रकाशित।

[2]2. क. राज्य सरकारों द्वारा किसी प्रयोगशाला को 'समुचित प्रयोगशाला' के रूप में मान्यता प्रदान करना –

(1) आवेदक, समुचित प्रयोगशाला के रूप में मान्यता अधिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए आवेदन, सुसंगत ब्यौरे सहित, तीन प्रति में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विहित प्रोफार्मा में राज्य सरकार के उपभोक्ता संरक्षण कार्य से सम्बद्ध विभाग को भेजेगा।

(2) राज्य सरकार, आवेदक से आवेदन प्राप्त करने पर, उसकी दो प्रतियां मानक ब्यूरो को उनके (भारतीय मानक ब्यूरो) द्वारा विहित मानकों के आधार पर प्रयोगशाला की उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए अग्रेषित करेगी। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रभारित फीस आवेदक द्वारा संदत्त की जाएगी।

(3) राज्य सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो की सिफारिशों और अनुमोदन प्राप्त होने पर, उस प्रयोगशाला को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रयोजन के लिए 'समुचित प्रयोगशाला' के रूप में तीन वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित करेगी।

3. केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद एवं उसके कार्यकारी दलों का गठन

(1) केन्द्रीय सरकार राजकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् (जो एतद् पश्चात् केन्द्रीय परिषद् के नाम से संदर्भित होगी) गठित करेगी जिसमें [3] (35) से अनधिक निम्नलिखित सदस्य होंगे नामत :

(क) [4](केन्द्रीय सरकार के उपभोक्ता मामलों का प्रभारी मंत्री), जो केन्द्रीय परिषद् का अध्यक्ष होगा;

(ख) [4](केन्द्रीय सरकार के उपभोक्ता मामलों का राज्य-मंत्री) (जहाँ पर वह स्वतंत्र प्रभार धारण नहीं करता हो) या उप-मंत्री, जो केन्द्रीय परिषद् का उपाध्यक्ष होगा;

[3](ग) अनुसूची 1 में यथा वर्णित प्रत्येक क्षेत्र से, राज्यों के उपभोक्ता मामलों के दो प्रभारी मंत्री, जो प्रत्येक अवसर पर, परिषद् की अवधि के अवसान पर, चक्रानुक्रम से परिवर्तित किए जाएंगे;

(गक) अनुसूची 2 में यथा वर्णित संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए संघ राज्य क्षेत्र का एक प्रशासक (चाहे वह प्रशासक या उप-राज्यपाल के रूप में पदाभिहित किया गया है), जो प्रत्येक अवसर पर परिषद् की अवधि के अवसान पर, चक्रानुक्रम से परिवर्तित किए जाएंगे;

---

2. अधिसूचना क्र. सा.का.नि.605 (अ)दिनांक 30 अगस्त, 1995 भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग 2 खण्ड 3(1) दिनांक 30.8.95 पृष्ठ 1-2 पर प्रकाशित।
3. अधिसूचना क्र. सा.का.नि. 273 ई दिनांक 5.5.2006 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. अधिसूचना क्र. सा.का.नि. 800 (ई) दिनांक 30 दिसम्बर 1993 द्वारा अन्तःस्थापित।

(घ) संसद के [6](दो) सदस्य - [7](एक) लोकसभा से और [7](एक) राज्य-सभा से;

((ङ) [8]

(च) उपभोक्ता के हितों से सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार के विभागों और स्वायत्तशासी संस्थाओं के प्रतिनिधि [9](5) से अधिक नहीं;

((चक)[5] रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, नई दिल्ली;)

[10]((छ) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन अर्थात् कंज्यूमर इंटरनेशनल, के भारतीय सदस्यों में से उपभोक्ता संगठन से के प्रतिनिधिगण - छः से अधिक नहीं जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

((छक) उपभोक्ता संगठनों, उपभोक्ता क्रियावादियों, महिलाओं, कृषकों, व्यापार और उद्योग में से, प्रमाणित विशेषज्ञता और अनुभव सहित ऐसे प्रतिनिधिगण जो उपभोक्ता हितों का प्रतिनिधित्व करने में समर्थ हो - पांच से अधिक नहीं, जिसमें से एक नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के विनिर्दिष्ट प्रत्येक क्षेत्र में होगा;)

[11]((ज) *)

[12]((झ) *)

[13]((ञ) राज्यों में उपभोक्ता मामलों के भारसाधक सचिव जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे - तीन से अधिक नहीं;

(ट) [14](केन्द्रीय सरकार में उपभोक्ता मामलों का भारसाधक सचिव) केन्द्रीय परिषद का सदस्य सचिव होगा।

(2) परिषद की अवधि तीन वर्ष होगी।

---

5. अधिसूचना क्र. सा.का.नि. 175 अ दिनांक 5.3.2004 द्वारा (दिनांक 5.3.2004 से) अन्तःस्थापित।
6. अधिसूचना क्र. सा.का.नि. 273 ई दिनांक 5.5.2006 द्वारा आठ के स्थान पर प्रतिस्थापित।
7. अधिसूचना क्र. सा.का.नि. 273 ई दिनांक 5.5.2006 द्वारा क्रमशः पांच और तीन के स्थान पर प्रतिस्थापित।
8. अधिसूचना क्र. सा.का.नि. 273 ई दिनांक 5.5.2006 द्वारा (ङ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के राष्ट्रीय आयोग का सचिव; विलोपित।
9. अधिसूचना क्र. सा.का.नि. 273 ई दिनांक 5.5.2006 द्वारा बीस के स्थान पर प्रतिस्थापित।
10. अधिसूचना क्र. सा.का.नि. 273 ई दिनांक 5.5.2006 द्वारा उपभोक्ता संस्थाओं या उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि 35 से कम नहीं; के स्थान पर प्रतिस्थापित।
11. अधिसूचना क्र. सा.का.नि. 273 ई दिनांक 5.5.2006 द्वारा (ज) महिलाओं का प्रतिनिधित्व - दस से कम नहीं; विलोपित।
12. अधिसूचना क्र. सा.का.नि. 273 ई दिनांक 5.5.2006 द्वारा (झ) किसानों, व्यापारियों एवं उद्योगों के प्रतिनिधि - 20 से अधिक नहीं; विलोपित।
13. अधिसूचना क्र. सा.का.नि. 273 ई दिनांक 5.5.2006 द्वारा प्रतिस्थापित।
14. अधिसूचना क्र. सा.का.नि. 95 (ई) 27.2.1997 द्वारा अन्तःस्थापित।

[15](परन्तु यह कि परिषद् तीन मास की एक और अवधि के लिए या उसके पुनर्गठित होने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, कृत्य करती रहेगी।)

(3) कोई भी सदस्य केन्द्रीय परिषद के चेयरमेन को अपने हाथ से लिखकर परिषद् से त्यागपत्र दे सकेगा। इस प्रकार या अन्यथा प्रकार से उत्पन्न हुई रिक्तियों की पूर्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा उसी प्रवर्ग से की जायेगी और वह उस अवधि तक वह पद धारण करता रहेगा जब तक कि वह व्यक्ति, जिसकी रिक्ति उत्पन्न नहीं हुई होती पद धारण करने का पात्र होता।

[16]((4)*)

4. केन्द्रीय परिषद की प्रक्रिया

धारा 5 की उपधारा (2) के अंतर्गत केन्द्रीय परिषद अपने काम काज की कार्यवाही में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करेगी -

(1) केन्द्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता चेयरमेन द्वारा की जाएगी। चेयरमेन की अनुपस्थिति में केन्द्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेगा। चेयरमेन एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में, केन्द्रीय परिषद की बैठक पर अध्यक्षता करने के लिए अपने किसी एक सदस्य का निर्वाचन करेगी।

(2) केन्द्रीय परिषद की प्रत्येक बैठक प्रत्येक सदस्य को सूचना जारी होने की तारीख से कम से कम दस दिनों की अवधि का लिखित सूचना-पत्र जारी कर बुलाई जाएगी।

(3) केन्द्रीय परिषद की प्रत्येक सूचना में बैठक का स्थान, बैठक का दिन एवं समय निर्दिष्ट किए जाएंगे और उसमें वहां पर किए जाने वाले कारोबार या कार्यवाही का विवरण भी दिया जाएगा।

(4) केन्द्रीय परिषद की कार्यवाही केवल मात्र इसलिए अविधिमान्य नहीं होगी कि उसमें कोई रिक्ति विद्यमान थी या परिषद के गठन में कोई त्रुटि थी।

(5) अधिनियम के अंतर्गत संपादन किए जाने वाले कृत्यों के प्रयोजनार्थ, केन्द्रीय परिषद जैसा आवश्यक समझे स्वयं के सदस्यों में से कार्यकारी दल गठित कर सकती है और इस प्रकार गठित कार्यकारी दल ऐसे कार्य करेगा जैसा कि केन्द्रीय परिषद उसे सौंपेगी। ऐसे कार्यकारी दलों के निष्कर्ष केन्द्रीय परिषद के विचारार्थ उसके समक्ष पेश किए जाएंगे।

[17]((6) केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् और उसके कार्यकारी ग्रुप की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर सरकारी सदस्यों द्वारा आने और जाने के लिए की गई यात्रा के सम्बन्ध में, वे सदस्य [18](मितव्ययी श्रेणी वायु भाड़े के हकदार होंगे।) परन्तु यह तब जब कि यात्रा की दूरी एक

---

15. अधिसूचना क्र. सा.का.नि. 385 (अ) दिनांक 12 मई 2011 द्वारा अंतःस्थापित।
16. अधिसूचना क्र. सा.का.नि. 273 ई दिनांक 5.5.2006 द्वारा उपनियम (4) विलोपित।
17. अधिसूचना क्र. सा.का.नि. 175 अ दिनांक 5.3.2004 द्वारा (दिनांक 5.3.2004 से) अन्तःस्थापित।
18. अधिसूचना क्र. सा.का.नि. 591 ई दिनांक 20 अगस्त 2009 द्वारा प्रतिस्थापित।

हजार किलोमीटर या उससे अधिक है। गैर सरकारी सदस्य उनके दैनिक भत्ते, आवास भत्ते, स्थानीय वाहन भत्ते जो उनके निवास स्थान से स्टेशन/वायुयान पत्तन तक और वहां से बैठक के स्थान तक और उसके पश्चात् वापस लौटने के लिए व्यय की क्षतिपूर्ति करने के लिए अधिवेशन के प्रत्येक दिन [18](दो हजार रुपये) की राशि के आनुपातिक प्रभार के रूप में हकदार होंगे। इस उपनियम के अधीन किया गया प्रत्येक दावा यह प्रमाणित करने के अध्यधीन होगा कि सदस्य किसी अन्य केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय, विभाग या संगठन से केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् या उसके किसी कार्यकारी ग्रुप की बैठक में भाग लेने के लिए उसके दौरे के दौरान किसी प्रसुविधा का दावा नहीं करेगा। बैठक के स्थान पर निवास घरेलू स्थान गैर सरकारी सदस्यों को, शहर के उनके अपने वर्गीकरण के अवसर पर [18](पांच सौ रुपये) प्रतिदिन तक के [19](समेकित वाहन और किराया प्रभार) संदेय किया जायेगा। परिषद् या उसके कार्यकारी ग्रुप की बैठकों में भाग लेने के लिए संसद सदस्य ऐसे दर पर, जो ऐसे सदस्यों को अनुज्ञेय हो यात्रा और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे।)

(7) केन्द्रीय परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव सिफारिशों की प्रकृति के होंगे।

5. राष्ट्रीय आयोग का स्थान

राष्ट्रीय आयोग का कार्यालय संघीय सीमा दिल्ली में अवस्थित होगा।

6. राष्ट्रीय आयोग के कार्य दिवस

राष्ट्रीय आयोग के कार्य दिवस और कार्यालय समय वही होंगे जो केन्द्रीय सरकार के हैं।

7. मुद्रा और संप्रतीक

राष्ट्रीय आयोग की शासकीय मुद्रा और संप्रतीक ऐसे होंगे जैसा कि केन्द्रीय सरकार निश्चित करेगी।

8. राष्ट्रीय आयोग की बैठकें

राष्ट्रीय आयोग की बैठक जब और जैसे भी आवश्यक हो, अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाएगी।

9. राष्ट्रीय आयोग के कर्मचारीवृन्द

केन्द्रीय सरकार, ऐसे कर्मचारियों को नियुक्त करेगी जो राष्ट्रीय आयोग के दिन-प्रतिदिन कार्य में सहायता करने और अन्य ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिए आवश्यक हों जो अधिनियम और इन नियमों के अधीन उपबंधित किए गए हों या अध्यक्ष द्वारा समनुदेशित किए गए हों। ऐसे कर्मचारियों को संदेय वेतन भारत की संचित निधि से भुगतान किया जाएगा।

18. अधिसूचना क्र. सा.का.नि. 591 ई दिनांक 20 अगस्त 2009 द्वारा प्रतिस्थापित।
19. अधिसूचना क्र. सा.का.नि. 64 ई दिनांक 10.2.2005 द्वारा प्रतिस्थापित।

[19]9. (क) जिला फोरम के समक्ष परिवाद फाइल करने की फीस

(1) अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1), धारा 17 की उपधारा (1) और धारा 21 के खंड (क) के उपखंड (i) के अधीन प्रत्येक परिवाद के साथ, यथास्थिति, जिला फोरम के अध्यक्ष, राज्य आयोग के रजिस्ट्रार या राष्ट्रीय आयोग के रजिस्ट्रार के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में लिखित क्रास मांग देय ड्राफ्ट के रूप में या किसी क्रास भारतीय पोस्टल आर्डर के माध्यम से नीचे दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट फीस होगी और संबंधित स्थान पर संदेय होगी जहाँ जिला फोरम, राज्य आयोग तथा राष्ट्रीय आयोग अवस्थित है।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट संबद्ध प्राधिकारी उसके द्वारा प्राप्त फीस की राशि के संबंधित राज्य के उपभोक्ता कल्याण निधि में और जहाँ ऐसी निधि स्थापित नहीं है वहाँ राज्य सरकार प्राप्ति लेखा में और राष्ट्रीय आयोग की दशा में केन्द्रीय सरकार के उपभोक्ता कल्याण निधि में जमा करेगा।

सारणी

क्र.सं.	माल या सेवा का कुल मूल्य और दावाकृत प्रतिकर	संदेय फीस की राशि
(1)	(2)	(3)
	जिला फोरम	
1.	ऐसे परिवादियों जो अंत्योदय योजना कार्ड धारण करने वाले गरीबी रेखा के नीचे के अधीन हैं के लिए - एक लाख रुपए तक	कुछ नहीं
2.	अंत्योदय अन्न योजना कार्ड धारकों से भिन्न परिवादियों के लिए - एक लाख रुपए तक	100 रुपए
3.	एक लाख से अधिक और पाँच लाख रुपए तक	200 रुपए
4.	पाँच लाख से अधिक और दस लाख रुपए तक	400 रुपए
5.	दस लाख से अधिक और बीस लाख रुपए तक	500 रुपए
	राज्य आयोग	
6.	बीस लाख से अधिक और पचास लाख रुपए तक	2000 रुपए
7.	पचास लाख से अधिक और एक करोड़ रुपए **राष्ट्रीय आयोग**	4000 रुपए
8.	एक करोड़ रुपए से अधिक	5000 रुपए

(3) ऐसे परिवादी जो गरीबी रेखा के नीचे के अधीन हैं केवल अंत्योदय योजना कार्डों की अनुप्रमाणित प्रति के प्रस्तुत करने पर फीस के संदाय की छूट के लिए हकदार होंगे।''

19. अधिसूचना क्र. सा.का.नि. 64 ई दिनांक 10.2.2005 द्वारा प्रतिस्थापित।

करने की फीस

रा (1) और धारा 21 के खंड
यथास्थिति, जिला फोरम के
; रजिस्ट्रार के पक्ष में किसी
में या किसी क्रास भारतीय
विनिर्दिष्ट फ़ीस होगी और
आयोग तथा राष्ट्रीय आयोग

ा फीस की राशि के संबंधित
ा स्थापित नहीं है वहाँ राज्य
न्द्रीय सरकार के उपभोक्ता

संदेय फीस की राशि
(3)
कुछ नहीं
100 रुपए
200 रुपए
400 रुपए
500 रुपए
2000 रुपए
4000 रुपए
5000 रुपए

ा अंत्योदय योजना कार्डों की
के लिए हकदार होंगे।''

10. राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग और जिला फोरम की अतिरिक्त शक्तियाँ

(1) राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग और जिला फोरम की शक्ति होगी कि वह किस व्यक्ति से निम्नलिखित अपेक्षा करें कि -

(क) राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग या जिला फोरम, यथास्थिति, उसके द्वारा इस संबंध मे विनिर्दिष्ट अधिकारी के समक्ष, ऐसी लेखा-पुस्तकें, पंजिकाएं, दस्तावेज या वस्तुएं, जो मांग पत्र में विनिर्दिष्ट है या वर्णित है और अपेक्षित व्यक्ति के अभिरक्षा या नियंत्रण में है, पेश करे और उनकी परीक्षा करने देवे तथा उन्हें उसके पास रखने देवें, यदि इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु ऐसी लेखा पुस्तकों, पंजिकाओं, या वस्तुओं की परीक्षा करना इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु आवश्यक हो ;

(ख) इस प्रकार विनिर्दिष्ट अधिकारों को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ ऐसी सूचना, जो आवश्यक हो, प्रस्तुत करें :

(2)(क) जहाँ इस अधिनियम के अंतर्गत की जाने वाली कार्यवाही के दौरान, राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग या जिला फोरम, यथास्थिति, को यह विश्वास करने का आधार हो कि ऐसी कार्यवाही में प्रस्तुति हेतु अपेक्षित किसी पुस्तक, कागज, वस्तु या दस्तावेज को नष्ट, खंड विखंड, परिवर्तित, मिथ्याकृत या गायब किया जा रहा है या किया जा सकता है, तो लिखित आदेश द्वारा किसी अधिकारी को किसी भी परिसर में प्रविष्ट होने और उस परिसर की तलाशी लेने की अनुमति दी जा सकती है। इस प्रकार से प्राधिकृत अधिकारी ऐसी पुस्तकों, दस्तावेजों या वस्तुओं, जिनकी इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ आवश्यकता हो, को अभिग्रहण कर सकेगा।

- परन्तु यह है कि जैसे ही अभिग्रहण किया जावे या अभिग्रहण के 72 घंटों के भीतर ऐसे अभिग्रहण के कारण लिखित में दर्शाते हुए, अभिग्रहण की सूचना राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग या जिला मंच जैसी भी स्थिति हो, को भी भेजी जाएगी।

(ख) इस प्रकार से अभिग्रहित दस्तावेजों या वस्तुओं, यथास्थिति, की परीक्षा करने के पश्चात राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग या जिला मंच यथास्थिति, द्वारा उन्हें रोका जाने या संबंधित पक्षकार को लौटाने के आदेश दिए जा सकेंगे।

[20]10 क उपभोक्ता कल्याण निधि में जुर्माने का तब जमा किया जाना उपभोक्ताओं की सुविधाजनक रूप में पहचान नहीं की जा सकती है

(1) जहाँ, राष्ट्रीय आयोग द्वारा धारा 14 की उप-धारा (1) के खण्ड (जख) के अधीन निहित

20. सा.का.नि. 175 (ई) दिनांक 5.3.2004 से अंत:स्थापित।

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऐसे विरोधी पक्षकार को ऐसी राशि का संदाय करने का निदेश देते हुए, जिसके कारण अनेक उपभोक्ताओं को सेवा के विरुद्ध परिवाद या अभिकथित कमी के माल के कारण हुई किसी हानि या क्षति की बाबत उसके द्वारा अवधारित की गई है जिनकी सुविधाजनक रूप में पहचान नहीं की जा सकती है, कोई आदेश पारित किया जाता है, वहाँ राष्ट्रीय आयोग द्वारा ऐसी राशि, केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 12 (ग) के अधीन स्थापित उपभोक्ता कल्याण निधि में जमा की जाएगी।

(2) उक्त निधि में जमा किसी राशि का उपभोक्ता कल्याण निधि नियम, 1992 के उपबन्धों के अनुसार उपयोग किया जाएगा।

10 ख राष्ट्रीय आयोग में सदस्यों की संख्या

राष्ट्रीय आयोग चार सदस्यों से अन्यून और 11[21] सदस्यों से अनधिक से मिलकर बनेगा और जिनमें कम से कम एक महिला होगी।

11. राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, मानदेय और अन्य भत्ते

[22](1) राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष, ऐसे वेतन भत्तों और अन्य परिलब्धियों का हकदार होगा जो उच्चतम न्यायालय के आसीन न्यायाधीश को उपलब्ध है।

(1क) पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किए गए राष्ट्रीय आयोग के अन्य सदस्य 1 अप्रैल 2006 से निम्नलिखित मानदेय और भत्तों के हकदार होंगे अर्थात् -

(क) सदस्यों को मानदेय के रूप में तेइस हजार रु. प्रतिमास संदत्त किया जाएगा :

परन्तु ऐसे सदस्यों को जो उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश है या जो भारत सरकार के सेवा निवृत्त सचिव है रुपये तेइस हजार प्रतिमास का समेकित मानदेय प्राप्त करने या पेंशन घटाकर अंतिम आहरित वेतन के बराबर पारिश्रमिक प्राप्त करने का विकल्प होगा;

(ख) ऐसी महिला जिसने पहले लाभ पद धारण नहीं किया है सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर अन्य लाभों के साथ 24050-26000 रु. प्रतिमास के वेतनमान से वेतन पाने के हकदार होगी।

(ग) सदस्यों को सरकारी आवास उपलब्ध कराया जाएगा या वे उसके बदले में (1 सितम्बर 2008 से रु. 25000 प्रतिमास)[23] किराया भत्ता प्राप्त करेंगे।

(घ) सदस्यों को यदि चाले सहित कार सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती है

---

21. अधिसूचना क्र. सा.का.नि. 579 (अ) दिनांक 5 जुलाई 2010 द्वारा प्रतिस्थापित।
22. अधिसूचना क्र. जी.एस.आर. क्र. 462 (ई) दिनांक 4.8.2006 द्वारा (दिनांक 4.8.2006 से) प्रतिस्थापित।
23. अधिसूचना क्र. जी.एस.आर. क्र. 380 (अ) दिनांक 2 जून 2009 द्वारा प्रतिस्थापित।

प्रतिमास सवारी भत्ता संदत किया जाएगा और यदि सरकारी गाड़ी उपलब्ध करवाई जाती है तो उन्हें 150 लीटर पेट्रोल या उसकी कीमत संदत्त की जाएगी।

[24](**स्पष्टीकरण :** इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, यदि सदस्यों को चालक द्वारा चलाए जाने वाले सरकारी यान प्रदान नहीं किया जाता है या यदि सदस्य वाहन भत्ते के स्थान पर भाड़े के यान का विकल्प नहीं देते हैं, तो सदस्यों को दस हजार रुपये प्रतिमास की दर से यान भत्ते और एक सौ पचास लीटर पेट्रोल की कीमत का भुगतान किया जाएगा।)

(ङ) सदस्य एस.टी.डी. और आई.एस.डी. सुविधाओं के साथ अपने आवास पर लगाए गए दूरभाष से एक हजार निःशुल्क काल करने के हकदार होंगे;

(च) सदस्य एक वर्ष में 15 दिन की आकस्मिक छुट्टी लेने के हकदार होंगे।)

2. [25](सदस्यों) को राजकीय दौरे पर ऐसा यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता प्राप्त होगा, जो केंद्रीय सरकार के ''अ'' श्रेणी अधिकारी को दौरे पर प्राप्त होता है।

(2क) [26](----)

(3) मानदेय या संवेतन, यथास्थिति एवं अन्य भत्तों का भुगतान भारत की संचित निधि से किया जायेगा।)

12. राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा के निर्बन्धन एवं शर्तें

(1) नियुक्ति के पूर्व, राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को यह परिवचन करना होगा कि वे ऐसे कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं रखेंगे जिससे कि वह ऐसे सदस्य के रूप में उनके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

(2) [27](----)

(3) उपनियम (2) में कुछ भी होते हुए, अध्यक्ष या सदस्य :-

[28](क) अपने हस्ताक्षरित लेख द्वारा और केन्द्रीय सरकार को सम्बोधित करते हुए किसी समय अपना पद त्याग सकेगा किन्तु ऐसा पद केवल तब रिक्त होगा जब केन्द्रीय सरकार द्वारा उसका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया जाता है;

(ख) नियम 13 के प्रावधानों के अनुसार उसे पद से निष्कासित किया जा सकता है।

(4) अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निर्बन्धनों एवं शर्तों को उनकी सेवा काल के दौरान उसके लिए अलाभकार रूप में परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

---

24. अधिसूचना क्र. जी.एस.आर. क्र. 380 (अ) दिनांक 2 जून 2009 द्वारा (दिनांक 2.6.2009 से) अन्तःस्थापित।
25. अधिसूचना क्र. जी.एस.आर. क्र. 462 (ई) दिनांक 4.8.2006 द्वारा (दिनांक 4.8.2006 से) प्रतिस्थापित।
26. अधिसूचना क्र. जी.एस.आर. क्र. 462 (ई) दिनांक 4.8.2006 द्वारा (दिनांक 4.8.2006 से) विलोपित।
27. सा.का.नि. 175 (ई) दिनांक 5.3.2004 द्वारा विलोपित।
28. सा.का.नि. 175 (ई) दिनांक 5.3.2004 से प्रतिस्थापित।

(5) राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उपनियम (3) के अंतर्गत या अन्यथा प्रकार से त्याग पत्र या निष्कासन के कारण हुई आकस्मिक रिक्ति को नई नियुक्ति के द्वारा भरा जाएगा।

[29](6) जब राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या ऐसे पद का धारण करने वाला कोई व्यक्ति अनुपस्थिति या अन्यथा के कारण अपने पद के कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तब उसका उसे धारा 22-घ के परन्तुक में उपबन्धित के सिवाय, राष्ट्रीय आयोग के ज्येष्ठतम सदस्य द्वारा निर्वहन किया जाएगा।

(7) अध्यक्ष या कोई सदस्य, जिनका इस हैसियत में पद-धारण करना समाप्त हो जाता है ; किसी ऐसे संगठन के प्रबंध या प्रशासन या उससे संबंधित कार्य जो उसकी पदावधि के दौरान, इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही का विषय रहा हो, उस तारीख से, जिसको उसका ऐसा पद धारण समाप्त हो जाता है, पाँच वर्ष की अवधि के लिए कोई नियुक्ति धारण नहीं करेगा।

[30]12 क. सदस्यों के चयन की प्रक्रिया

(1) उपनियम (2) में यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी सदस्य की नियुक्ति की प्रक्रिया रिक्ति उत्पन्न होने से कम से कम तीन मास पूर्व आरम्भ की जाएगी;

(2) यदि पद किसी सदस्य की सेवानिवृत्ति या मृत्यु या नए पद के सृजन के कारण रिक्त होता है, पद को भरने की प्रकिया, यथास्थिति, पद रिक्त होने या सृजित होने के तुरन्त पश्चात् आरम्भ की जाएगी;

(3) पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमन्त्रित करते हुए किसी रिक्ति के लिए विज्ञापन या रिक्ति परिपत्र या दोनों, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएं, भारत के किसी प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित किया जा सकेगा।

(4) आवेदन की प्राप्ति के लिए विनिर्दिष्ट अन्तिम तारीख तक प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करने के पश्चात् पात्र अभ्यर्थियों की एक सूची उनके आवेदन पत्रों के साथ धारा 20 की उपधारा (1) के तीसरे परन्तुक के अधीन गठित चयन समिति के समक्ष रखी जाएगी।

(5) चयन समिति उसे निर्दिष्ट किए गए पात्र आवेदकों के सभी आवेदनों पर विचार करेगी।

(6) चयन समिति उपनियम (6क) के प्रावधानों के अधीन सदस्य के पद के अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर विचार करेगी :

परन्तु चयन समिति यदि आवश्यक समझे, अभ्यर्थियों की संख्या पर निर्भर रहते हुए अभ्यर्थी का चयन गुणागुण और अनुभव के आधार पर कर सकेगी।

---

29. सा.का.नि. 175 (ई) दिनांक 5.3.2004 से अंत:स्थापित।

30. अधिसूचना क्र. सा.का.नि. 637 अ दिनांक 13.10.2006 द्वारा प्रतिस्थापित।

ो उपनियम (3) के अंतर्गत या
हुई आकस्मिक रिक्ति को नई

या ऐसे पद का धारण करने वाला
के कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में
उपबन्धित के सिवाय, राष्ट्रीय

रण करना समाप्त हो जाता है ;
यत कार्य जो उसकी पदावधि के
वेषय रहा हो, उस तारीख से,
च वर्ष की अवधि के लिए कोई

की नियुक्ति की प्रक्रिया रिक्ति
गी;
के सृजन के कारण रिक्त होता
ा सृजित होने के तुरन्त पश्चात्

क्ति के लिए विज्ञापन या रिक्ति
ए जाएं, भारत के किसी प्रमुख

ाप्त आवेदनों की संवीक्षा करने
ों के साथ धारा 20 की उपधारा
क्ष रखी जाएगी।
आवेदनों पर विचार करेगी।
दस्य के पद के अभ्यर्थियों की

की संख्या पर निर्भर रहते हुए
सकेगी।

त।

(6क) चयन समिति अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का आंकलन करेगी और जहां सदस्यों के पद के लिए छांटे गए अभ्यर्थियों में से छांटे जाना शेष हो, उपयुक्तता का आंकलन निम्न तरीके से करेगी नामतः -

(क) न्यायिक पृष्ठभूमि रखने वाले अभ्यर्थियों के मामले में, उनका आंकलन उनके द्वारा पारित निर्णयों एवं अन्य न्यायिक आदेशों के आधार आंकलन करके;

(ख) केन्द्रीय शासन या राज्य शासन के अधीन या केन्द्रीय शासन या राज्य शासन के उपक्रमों के अधीन कार्यानुभव रखने वाल अभ्यर्थियों के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों का उनके वार्षिक गुप्त प्रतिवेदनों और जिस पद के लिए आवेदित किया गया है, उससे सुसंगत उनके अनुभव के आधार पर आंकलन करके;

(ग) अन्य मामलों में छांटे गए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का आंकलन चयन समिति द्वारा उसके द्वारा परिचालित व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर किया जावेगा :

परन्तु यह है कि इस उपनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी चयन समिति अभ्यर्थियों के ऐसे वर्ग या प्रवर्ग की उपयुक्तता के आंकलन के लिए, यदि आवश्यक समझे तो ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को सदस्य पद के लिए उनकी उपयुक्तता के आंकलन के लिए साक्षात्कार के लिए बुला सुकती है।

(7) चयन समिति उपनियम (5) में निर्दिष्ट आवेदकों में से उसके द्वारा किए गए अपने मूल्यांकन के आधार पर सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए गुणागुण के क्रम में अभ्यर्थियों के नामों का एक पैनल केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए सिफारिश कर सकेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार मन्त्रीमण्डल नियुक्ति समिति का अनुमोदन चाहने से पूर्व चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए पैनल से और सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए ऐसे अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का समाधान करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा चयन किए गए अभ्यर्थियों की विश्वसनीयता और पूर्ववृत को सत्यापित कर सकेगी या सत्यापित करवा सकेगी।

[31](9) सदस्य की प्रत्येक नियुक्ति उपाबंध में यथा उपदर्शित सिविल सर्जन या जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित स्वस्थता प्रमाणपत्र, अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को प्रस्तुत किए जाने के अधीन होगी।)

13. अध्यक्ष या सदस्यों का कतिपय परिस्थितियों में कार्यालय से निष्कासन

(1) केन्द्र सरकार ऐसे अध्यक्ष या किसी सदस्य को उसके पद से हटा सकती है जो -

(क) दिवालिया घोषित कर दिया गया है, या

(ख) उसके विरुद्ध किसी ऐसे अपराध की दोषसिद्धि हुई है, जो केन्द्रीय सरकार की राय

31. अधिसूचना क्र. सा.का.नि. 559 (अ) दिनांक 21 जुलाई 2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

में नैतिक अधमता है ; या

(ग) वह अध्यक्ष या ऐसे सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक अथवा मानसिक रूप से असमर्थ हो चुका है ; या

(घ) ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर दिए हैं, जो उसके सदस्य या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेंगे ; या

(ङ) अपनी हैसियत या पद का इस प्रकार से दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बना रहना लोकहित के प्रतिकूल होगा। [3]2या

(च) जो अपने नियंत्रण से परे कारणों के सिवाय 3 क्रमवर्ती बैठकों में अनुपस्थित रहता है।

[33](2) उप-नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य उस उप-नियम के खण्ड (घ) खण्ड (ङ) और खण्ड (च) में विनिर्दिष्ट आधारों पर और भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नाम निर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय के किसी पीठासीन न्यायाधीश द्वारा की गई जाँच के पश्चात् जिसमें राष्ट्रीय आयोग के, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य को उसके विरुद्ध आरोपों की सूचना दे दी गई हो और उन आरोपों की बाबत उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया हो, तथा उसे दोषी पाया जाता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए किसी आदेश के सिवाय पद से नहीं हटाया जाएगा।

14. राष्ट्रीय आयोग द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया

(1) एक परिवाद जिसमें निम्नलिखित विवरण समाविष्ट होगा परिवादी द्वारा व्यक्तिगत रूप से या उसके अभिकर्ता द्वारा राष्ट्रीय आयोग को पेश किया जाएगा या आयोग के पत्ते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा -

(क) परिवादी का नाम, विवरण एवं पता ;

(ख) विरोधी पक्ष या पक्षों, यथास्थिति का नाम, विवरण एवं पता जहां तक निश्चित रूप से मालूम हो सके ;

(ग) परिवाद से संबंधित तथ्य एवं वे कहां उत्पन्न हुए थे ;

(घ) परिवाद में समाविष्ट आरोपों के समर्थन में दस्तावेज ;

(ङ) परिवादी द्वारा मांगा गया अनुतोष या राहत।

[33](1क) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक परिवाद चार प्रतियों में या प्रतियों की ऐसी संख्या के साथ जो राष्ट्रीय आयोग द्वारा अपेक्षित हों, फाइल की जावेगी।

[33](2) राष्ट्रीय आयोग, उसके समक्ष किसी परिवाद के निपटान में, यथासाध्य प्रक्रिया और शर्तों का, जिसके अन्तर्गत जिला फोरम द्वारा प्राप्त परिवादों के संबंध में धारा 12 और धारा 13 में यथा अधिकथित आस्थगन को शासित करने वाल उपबंध भी हैं, ऐसे उपान्तरण सहित जो आयोग द्वारा आवश्यक समझे जाएं, पालन करेगा।

---

32. अधिसूचना क्र. सा.का.नि. 95 (अ) दिनांक 27.02.1997 द्वारा अंतःस्थापित।

33. अधिसूचना क्र. सा.का.नि. 175 (अ) दिनांक 05.03.2004 द्वारा अंतःस्थापित।

(3) सुनवाई की तारीख को या किसी अन्य दिवस को जिस दिन सुनवाई निश्चित की जावे, पक्षकारों या उसके अभिकर्ताओं के लिए राष्ट्रीय आयोग के समक्ष उपस्थित होना बाध्यकर होगा। यदि परिवादी या उसका अभिकर्ता ऐसी तारीख पर उपस्थित होने में असफल रहता है, तो राष्ट्रीय आयोग विवेकानुसार पक्ष के व्यतिक्रम के कारण या तो शिकायत रद्द कर सकता है या उसे गुणदोषों के आधार पर विनिश्चित कर सकता है। जहाँ विरोधी पक्ष या उसका अभिकर्ता सुनवाई की तारीख के दिन उपस्थित होने में असफल होता है, तो राष्ट्रीय आयोग शिकायत पर एक पक्षीय निर्णय ले सकता है।

(4) राष्ट्रीय आयोग,ऐसी शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझता है, एवं कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर वाद की सुनवाई स्थगित कर सकता है किन्तु वाद का विनिश्चय यथासंभव जहाँ शिकायत में वस्तुओं का परीक्षण या विश्लेषण आवश्यक नहीं हो वहाँ विरोधी पक्ष को सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीन माह की अवधि में शिकायत पर विनिश्चय किया जाएगा तथा जहाँ वस्तुओं का विश्लेषण या परीक्षण आवश्यक हो वहाँ पाँच माह के अंदर विनिश्चय किया जाएगा।

[33](4-क) उप-नियम (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् निपटान किए जा रहे किसी परिवाद की दशा में राष्ट्रीय आयोग ऐसे निपटान में विलम्ब के कारणों को अभिलिखित करेगा।

(5) यदि उपनियम (3) के अंतर्गत कार्यवाही करने के पश्चात, राष्ट्रीय आयोग परिवाद में आरोपों से संतुष्ट है तो वह विरोधी पक्ष या पक्षों, यथास्थिति, को यह निर्देश देते हुए कि वह धारा 14 की उपधारा (1) में उल्लेखित कोई एक या अधिक बातें करने का आदेश जारी करेगा। जहाँ धारा 23 के अंतर्गत कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है या जहाँ इस धारा के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रीय आयोग के आदेश को संतुष्ट कर दिया है, वहां राष्ट्रीय आयोग की शक्ति होगी कि उसके द्वारा पारित आदेश को राजकीय राजपत्र में या प्रकाशन के अन्य माध्यम से प्रकाशित करावे तथा ऐसे किसी प्रकाशन के कारण राष्ट्रीय आयोग के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

[33]14क. राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपीलें

धारा 19 के अनुसार फाइल की गई प्रत्येक अपील के साथ उक्त धारा के दूसरे परन्तुक में यथा विनिर्दिष्ट राशि लगी होगी और ऐसी राशि रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय आयोग के पक्ष में, दिल्ली में संदेय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में लिखित एक क्रास मांगदेय ड्राफ्ट के रूप में प्रेषित की जा सकेगी। राष्ट्रीय आयोग, उसके समक्ष फाइल की गई अपीलों का निपटान करते समय धारा 10 और धारा 19-क के उपबन्धों का, जो आयोग के समक्ष फाइल की गई अपीलों की सुनवाई करने के लिए अपेक्षित हो, पालन करेगा।

स्पष्टीकरण : इस नियम में, ''राष्ट्रीयकृत बैंक'' से, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई

33. अधिसूचना क्र. सा.का.नि. 175 (अ) दिनांक 05.03.2004 द्वारा अंतःस्थापित।

तत्समान नया बैंक या बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई तत्समय नया बैंक अभिप्रेत है।)

15. अपील सुनवाई की प्रक्रिया

(1) ज्ञापन, अपीलार्थी या उनके अभिकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप में राष्ट्रीय आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा या आयोग के पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा।

(2) उपनियम (1) के अंतर्गत पेश किया गया प्रत्येक ज्ञापन अपाठ्य हस्तलिपि में, अधिमान्यतः टंकमुद्रित किया हुआ होगा तथा बिना किसी तर्क या वृतांत के अपील के आधार स्पष्ट शीर्षकों के अधीन संक्षिप्त दिए जाएंगे और आधार क्रम में संख्यांकित किए जाएंगे।

(3) प्रत्येक ज्ञापन के साथ, राज्य आयोग के आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, [34]नियम 14 (क) में यथा विनिर्दिष्ट क्रास मांगदेश ड्राफ्ट और अभिप्रमाणित प्रतिलिपि और दस्तावेज जो ज्ञापन में वर्णित आक्षेपों के आधार के समर्थन के लिए अपेक्षित है; होंगे।

(4) जब अपील अधिनियम में विनिर्दिष्ट परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात की जाए तो ज्ञापन के साथ एक आवेदन होगा और ऐसे शपथ पत्र से समर्थित होगा, जिसमें ऐसे तथ्य दिए जाएंगे जिसके आधार पर अपीलार्थी राष्ट्रीय आयोग का यह समाधान कर सकेगा कि परिसीमा काल के अंदर अपील नहीं करने का उसके पास पर्याप्त कारण है।

(5) अपीलार्थी शासकीय प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय आयोग को ज्ञापन की [34]चार प्रतियां या प्रतियों की ऐसी संख्या प्रस्तुत करेगा।

(6) सुनवाई की तारीख को या किसी अन्य दिवस को जिस दिन सुनवाई निश्चित की गई हो, पक्षकारों या उनके अभिकर्ताओं के लिए राष्ट्रीय आयोग के समक्ष उपस्थित होगा बाध्यकर होगा। यदि अपीलार्थी या उसका अभिकर्ता ऐसी तारीख पर उपस्थित होने में असफल रहता है, तो राष्ट्रीय आयोग विवेकानुसार या तो अपील खारिज करेगा या गणुदोषों के आधार पर एक पक्षीय विनिश्चय कर सकेगा। यदि प्रत्यर्थी या उसका अभिकर्ता ऐसी तारीख पर उपस्थित होने में असफल रहता है तो राष्ट्रीय आयोग एकपक्षीय कार्यवाही प्रारंभ करेगा और मामलों के गुणदोषों के आधार पर अपील विनिश्चित करेगा।

(7) अपीलांट, राष्ट्रीय आयोग की अनुमति के बिना, ज्ञापन में नहीं दिए गए आक्षेप के समर्थन में किसी बात पर जोर नहीं देगा ;

परन्तु राष्ट्रीय आयोग अपील पर विनिश्चय करते समय ज्ञापन में दिए गए आक्षेपों के आधार तक सीमित नहीं रहेगा।

परन्तु यह कि आयोग अपना विनिश्चय ज्ञापन में विनिर्दिष्ट आधारों से भिन्न किसी अन्य

---

34. अधिसूचना क्र. सा.का.नि. 64 (अ) दिनांक 10.02.2005 से अंतःस्थापित।

आधार पर तब तक आधारित नहीं करेगा जब तक कि राष्ट्रीय आयोग उससे प्रभावित हो सकने वाले पक्षकार को सुनवाई का अवसर नहीं देता है।

[35](8) राष्ट्रीय आयोग द्वारा साधारण तौर पर कोई स्थगन तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक कि पर्याप्त हेतुक दर्शित न किया गया हो और स्थगन मंजूर करने के कारणों को आयोग द्वारा अभिलिखित न किया गया हो। राष्ट्रीय आयोग ऐसे निबन्धनों पर जो वह उपयुक्त समझे और कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर जिसके कारणों को अभिलिखित किया जा सकेगा, स्वप्रेरणा से अपील की सुनवाई को भी स्थगित कर सकेगा। अपील का इसके स्वीकार करने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर यथासंभव शीघ्र विनिश्चय किया जाएगा। इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् निपटान की जा रही किसी अपील की दशा में राष्ट्रीय आयोग उक्त अपील के निपटान के समय उसके कारणों को अभिलिखित करेगा।

[36](9) राष्ट्रीय आयोग के आदेश संबंधित पक्षकारों को निःशुल्क संसूचित किए जाएंगे।

[37]15. क. राष्ट्रीय आयोग की बैठक और आदेशों पर हस्ताक्षर किया जाना

(1) राष्ट्रीय आयोग की प्रत्येक कार्यवाही अध्यक्ष द्वारा अथवा [1]वरिष्ठतम सदस्य द्वारा की जायेगी और (कम से कम दो सदस्यों द्वारा तब के सिवाय जब कोई पीठ राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और एक या अधिक सदस्यों से, जो उपयुक्त समझा जाए, मिलकर गठित की जाती है, किया जाएगा)।

"परंतु किसी कारण से एक सदस्य या सदस्य कार्यवाही का संचालन उसके पूर्ण होने तक करने में असमर्थ हैं, अधिनियम की धारा 22 घ में यथा उपबंधित अध्यक्ष या ज्येष्ठतम सदस्य ऐसी कार्यवाहियों का संचालन उस प्रक्रम से जिस पर इसकी पूर्ववर्ती सदस्य द्वारा अंतिम बार सुनवाई की गई थी, करेगा।"

(2) राष्ट्रीय आयोग द्वारा दिये गये प्रत्येक आदेश पर अध्यक्ष द्वारा अथवा नियम 12 के अन्तर्गत अधिकृत वरिष्ठतम सदस्य द्वारा और कम से कम दो सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे, जो कार्यवाही को करते हैं और यदि उनकी राय के मध्य कोई अन्तर होता है, बहुमत का आदेश ही राष्ट्रीय आयोग का आदेश होगा।

परन्तु यह तब जबकि अध्यक्ष द्वारा अथवा [37]धारा 22 'घ' के अधीन यथा उपबंधित अधिकृत[37] वरिष्ठतम सदस्य द्वारा और उसके तीन सदस्यों द्वारा कार्यवाही की जाती है और किसी बिन्दु अथवा बिन्दुओं पर वे भिन्न होते हैं, वे बिन्दु अथवा बिन्दुओं का वर्णन करेंगे, जिस पर वे भिन्न है और उस बिन्दु अथवा बिन्दुओं पर सुनवाई के लिए अन्य सदस्य को उसे निर्दिष्ट करेंगे और उस बिन्दु अधवा बिन्दुओं को राष्ट्रीय आयोग की बहुमत की राय के तद्नुसार निर्धारित किया जायेगा।

35. अधिसूचना क्र. सा.का.नि. 157 (अ) दिनांक 05.03.2004 द्वारा अंतःस्थापित।
36. अधिसूचना क्र. सा.का.नि. 533 (अ) दिनांक 14.08.1991 द्वारा संशोधित।
37. अधिसूचना क्र. सा.का.नि. 64 (अ) दिनांक 10.02.2005 द्वारा प्रतिस्थापित।

[38]16. उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपीलों में राशि का निक्षेप करने की रीति

धारा 23 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के समक्ष फाइल की गई प्रत्येक अपील के साथ उस धारा के दूसरे परन्तुक में यथाउपबंधित कोई राशि होगी और ऐसी राशि रजिस्ट्रार उच्चतम न्यायालय के पक्ष में, दिल्ली में संदेय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में लिखित किसी क्रास मांगदेय ड्राफ्ट के रूप में प्रेषित की जा सकेगी।

स्पष्टीकरण : इस नियम में, ''राष्ट्रीयकृत बैंक'' से, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई तत्समान नया बैंक या बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई तत्समय नया बैंक अभिप्रेत है।

अनुसूची – 1 (नियम 3 (1) (गक) देखिए)

1. पूर्वी क्षेत्र - बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों से मिलकर बनेगा।
2. पश्चिम क्षेत्र - गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों से मिलकर बनेगा।
3. उत्तरी क्षेत्र - हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों से मिलकर बनेगा।
4. दक्षिणी क्षेत्र - आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों से मिलकर बनेगा।
5. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र - अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम राज्यों से मिलकर बनेगा।

अनुसूची – 2 (नियम 3 (1) (गक) देखिए)

संघ राज्य क्षेत्र अर्थात् अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमण और दीव, लक्षद्वीप, पांडिचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली।''

स्वस्थता प्रमाण पत्र [39] (नियम 12 (क) (ग) देखिए)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने श्री/श्रीमती/सुश्री ..... का परीक्षण कर ली है तथा मैंने इनमें ..... के सिवाय किसी प्रकार के रोग (संक्रमणीय या अन्यथा) शरीर रचना संबंधी कमजोरी अथवा शारीरिक शैथिल्य नहीं पाई है। मैं राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सदस्य के रूप में पाँच वर्षों की अवधि अथवा सत्तर वर्ष की आयु तक, इनमें जो भी पूर्वतर हो, में इनके नियोजन के लिए इसे कोई अयोग्यता नहीं समझता हूँ।

दिनांक

सदस्य के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर/पदनाम

सिविल सर्जन/जिला चिकित्सा अधिकारी

●●●

38. अधिसूचना क्र. सा.का.नि. 95 (अ) दिनांक 27.02.1997 द्वारा अंतःस्थापित।
39. अधिसूचना क्र. सा.का.नि. 559 (अ) दिनांक 21 जुलाई 2011 द्वारा अंतःस्थापित।